

प्रारूप - 3

आलू निर्यात हेतु सहायता प्राप्त किये जाने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र।  
सेवा में, (निर्यातक द्वारा भरा जाने वाला प्रार्थना पत्र)

सचिव,  
कृषि उत्पादन मण्डी समिति,

महोदय,

मैं \_\_\_\_\_ फर्म का नाम \_\_\_\_\_ मण्डी समिति \_\_\_\_\_ का लाइसेन्स धारक हूँ, जिसका पंजीकरण संख्या \_\_\_\_\_ है। मैंने ताज ब्राण्ड आलू का निर्यात करने हेतु सभी औपचारिकताएं विधिवत पूरा करके निर्यातक प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है। मेरा निर्यातक रजिस्ट्रेशन / प्रमाण पत्र संख्या \_\_\_\_\_ वर्ष \_\_\_\_\_ है। मेरे द्वारा आलू का निर्यात \_\_\_\_\_ देशों को वायु/जल मार्ग / सड़क मार्ग से पोर्ट(बन्दरगाह) तक किया गया है। इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा मण्डी समिति से गेटपास संख्या \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_ प्राप्त किया गया था। विभिन्न देशवार निर्यात किये गये आलू की मात्रा एवं देश का विवरण निम्नवत है:-

- 1- आलू की किस्म-ताज/सामान्य
- 2- आलू की मात्रा (1) ताज  
(2) सामान्य
- 3- स्थान /मण्डी का नाम, जहाँ से निर्यात किया गया है।
- 4- भाडे के रूप में भुगतान की गयी धनराशि की रसीद।
- 5- उत्पादक कृषक एवं निर्यातक व्यापारी को मण्डी परिषद स्तर पर गठित उत्तर प्रदेश पोर्टेडो एक्सपोर्ट फौजिलिटेशन सोसायटी में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
- 6- उत्पादक सदस्यों एवं उत्पादकों को उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 के अधीन सम्बन्धित मण्डी समिति का लाइसेन्स लेना अनिवार्य होगा तथा मण्डी अधिनियम/नियम व उपविधि के उपबन्धों का पालन करना होगा।  
निर्यात के सम्बन्ध में निम्न अभिलेखों की प्रमाणित छाया प्रतियाँ संलग्न की जा रही है:-
  - 1 एपिडा से निर्यात हेतु पंजीकरण सम्बन्धी प्रमाण पत्र।
  - 2 निर्यात के पश्चात एपिडा को कन्साइनमेंटवार सूचना उपलब्ध कराने सम्बन्धी प्रमाण पत्र।
  - 3 परिवहन भाड़ा की रसीद, जिसमें वास्तविक परिवहन भाड़ा का व्यय दर्शाया जायेगा अन्य खर्च नहीं दिखाये जायेंगे।
  - 4 देश के अन्दर प्रदेश के जिस शहर से निर्यात हेतु आलू समुद्री मार्ग या हवाई मार्ग से भेजा गया है, वहाँ के परिवहन भाडे की रसीद।
  - 5 गन्तव्य बिन्दु पर भण्डार स्वामी के साथ संविदा अभिलेख /सहमति पत्र का प्रस्तुतीकरण।
  - 6 गन्तव्य बिन्दु पर भण्डारित मात्रा की आमद (प्राप्ति रसीद)
  - 7 कस्टम /बैंक द्वारा प्रमाणित वाणिज्यिक बिल/इनवाइस की मूल प्रति।
  - 8 जल /वायु मार्ग से आलू के परिवहन एवं लोडिंग के मूल अभिलेखों की स्वप्रमाणित छाया प्रति।
  - 9 फ्रेट फारवर्डर के मूल बिल /रसीद की स्वप्रमाणित छाया प्रति।
  - 10 निर्यात प्रोत्साहन हेतु कस्टम द्वारा प्रमाणित शिपिंग बिल (ई0पी0कापी) मूल रूप में।
  - 11 कस्टम द्वारा प्रमाणित शार्ट शिपमेन्ट सर्टिफिकेट मूलरूप में,(जहाँ आवश्यक हो )
  - 12 ताज ब्राण्ड आलू का निर्यात किये जाने की स्थिति में उत्पादक कृषक एवं निर्यातक व्यापारी द्वारा पैक कराये गये ताज ब्राण्ड आलू की मात्रा विशिष्टियों के अनुरूप सत्यापन हेतु सचिव मण्डी समिति द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र।
  - 13 आलू क्रय का श्रोत के सत्यापन हेतु मण्डी समिति द्वारा निर्गत प्रपत्र संख्या-6 आर व 9 आर की प्रमाणित प्रति।
  - 14 निर्यातक व्यापारी की स्थिति में आयकर विभाग द्वारा जारी पैन नम्बर की फोटो प्रति।
  - 15 विदेशी मुद्रा जी0आर0फार्म (फारेन एक्सचेज जी0आर0फार्म) की प्रतियाँ

- 16 एयर पोर्ट / पोर्ट सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आलू कंसाइनमेंट के रोग तथा कीटाणुओं से मुक्त होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र (फाइटो सेनेटरी सर्टीफिकेट)
  - 17 विदेश के केता द्वारा निर्गत एकाउन्ट सेल स्टेटमेंट/बैंक रिअलाइजेशन सर्टीफिकेट।
  - 18 निर्यातक व्यापारी की स्थिति में आयातक-निर्यातक प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित फोटो प्रति।
- कृपया मुझे आलू निर्यात हेतु सहायता धनराशि दिलाने का कष्ट करें।  
संलग्नकों की संख्या-

हस्ताक्षर  
फर्म/प्रतिनिध